(1) Di. 10/12/24 (13)
FN-RCSA/15738/2024
CNR-MP200104965-7 2024

<u>समक्ष न्यायालय श्रीमान् व्यवहार न्यायाधीश, जिला–जबलपुर</u>

<u>आर.सी.एस.ए.कं. 1349/2024</u> SCANNED

<u>वादीगण</u> :– 1. राकेश कुमार यादव, पिता स्व. रूपराम यादव, उम्र करीब 54 वर्ष, पता– ग्राम–सरसवाही पोस्ट–सोनपुर, जिला–जबलपुर म.प्र.

2. प्रवीण, पिता पिता रूपराम यादव, उम्र करीब 51 वर्ष, पता–ग्राम–सरसवाही पोस्ट–सोनपुर, जिला–जबलपुर म.प्र.

3. श्रीमति मंजुला यादव उर्फ पप्पी पति श्री नवीनचंद्र यादव, उम्र लगभग 52 वर्ष, पता–म.नं.4532 कुंडम रोड, संजय गांधी वार्ड, इस्टं घमापुर, कांचघर जिला–जबलपुर

<u>विरूद्ध</u>

<u>प्रतिवादीगण</u> :– 1. संजय यादव पिता स्व. राजाराम यादव, उम्र करीब 50 वर्ष,

2. विवेक यादव उम्र 48 वर्ष, पिता स्व. राजाराम यादव,

3. श्रीमति रजनी यादव उम्र 55 वर्ष, पिता स्व. राजाराम यादव,

4. श्रीमति रंजना यादव उम्र 44 वर्ष, पिता स्व. राजाराम यादव, प्रतिवादी क्रमांक–1 से 4 निवासी–सरदार वल्लभ भाई पटेल वार्ड, हनुमानताल संभाग भानतलैया जिला–जबलपुर

5. म.प्र. शासन द्वारा तहसीलदार

6. म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर जबलपुर

II—156
C.J.

Order Sheet [Contd] (6)

Case No. 1349/24 of 20 . . . .

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
27.10.2025	वादी द्वारा कोई उपस्थित नही। प्रति0क्रं0 1 व 2 द्वारा द्वारा श्री जितेंद्र तिवारी अधि.। प्रतिवादी क्रं0 5 व 6 एकपक्षीय। प्रति0क्रं0 3 व 4 अर्निवाहित। प्रकरण वादी की उपस्थिति/प्रति0क्रं0 3 व 4 की तामीली रिपोर्ट/प्रति0क्रं0 1 व 2 के जवाब/जवाबदावा हेतु नियत है। वादी की ओर से आज भी कोई अधिवक्ता या पक्षकार उपस्थित नही है। प्रकरण वादी की उपस्थिति पर विचार हेतु दिनांक 30.10.2025 को पेश हो। (ऋचा बठेजा) 34वें व्यवहार न्या वरिष्ठ खण्ड जबलपुर म.प्र.	27-10-2025 वास्ते प्रति0क्र.1 व 2
30-10-2025	Time- 12:00 PM वादीगण द्वारा कोई उपस्थित नही। प्रतिवादी क. 1 व 2 द्वारा श्री जितेन्द्र तिवारी अधिवक्ता उपस्थित। प्रतिवादी क. 5 व 6 पूर्व से एकपक्षीय। प्रतिवादी क. 4 अनिर्वाहित। प्रकरण वादीगण की उपस्थिति पर विचार हेतु नियत है। प्रकरण का अवलोकन किया। प्रकरण के अवलोकन से विदित है कि वादी की ओर से दिनांक 19.06.2025 को अधिवक्ता श्री प्रकाश कोरी उपस्थित हुए थे, किन्तु उसके पश्चात नियत पेशियों पर वादीगण अनुपस्थित है एवं उनकी ओर से कोई अधिवक्ता भी उपस्थित नहीं हुए हैं। वादीगण की उपस्थिति हेतु यह प्रकरण विगत पॉच पेशियों से नियत है। वादीगण एवं उनके के अधिवक्ता को बार–बार पुकार लगायी गयी, पुकार पश्चात् भी वादीगण एवं उनके अधिवक्ता अनुपस्थित। प्रकरण वादीगण की उपस्थिति पर विचार हेतु थोड़ी देर बाद मेरे समक्ष पेश हो। ऋचा बठेजा 34वें व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड जिला जबलपुर (म.प्र.)	Adv. 30-10-25 वास्ते प्रतिवादी क्र-1 व 2

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary

पुनश्चः

समय–03:00 बजे

पक्षकार पूर्ववत्।

प्रकरण वादीगण की उपस्थिति पर विचार हेतु नियत है।

वादीगण एवं उनके अधिवक्ता को पुनः बार–बार पुकार लगायी गयी, पुकार पश्चात् भी वादीगण एवं उनके अधिवक्ता अनुपस्थित।

प्रकरण वादीगण की उपस्थिति पर विचार हेतु थोड़ी देर बाद मेरे समक्ष पेश हो।

ऋचा बठेजा
34वें व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड
जिला जबलपुर (म.प्र.)

पुनश्चः

समय–05:00 बजे

पक्षकार पूर्ववत्।

प्रकरण वादीगण की उपस्थिति पर विचार हेतु नियत है।

प्रकरण का अवलोकन किया गया।

प्रकरण के अवलोकन से विदित है कि हस्तगत प्रकरण वादीगण की अनुपस्थिति तथा अग्रिम कार्यवाही न किये जाने के परिणामस्वरूप लंबित है तथा प्रकरण के निराकरण में विलंब कारित हो रहा है। वादी के आचरण से ऐसा प्रतीत होता है कि वादीगण अपने वाद को आगे चलाने में इच्छुक नहीं हैं।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय का ***न्यायदृष्टांत एम/एस शिव कोटेक्स विरूद्ध टिरगुन ऑटो प्लास्ट पी. लिमिटेड, 2011 ए.आई.आर एस.सी.डब्लू 5788*** उल्लेखनीय है, जिसमें उनके द्वारा ऐसी स्थिति को विचार में लेते हुये अवलोकन किया है कि *"It is not surprising that civil disputes drag on and on. The misplaced sympathy and indulgence by the appellate and revisional courts compound the malady further. It is high time that courts become sensitive to delays in justice delivery system and realize that adjournments do dent the efficacy of judicial process and if this menace is not controlled adequately, the litigant public may lose faith in the system sooner than later. The courts, particularly trial courts, must ensure that on every date of hearing, effective progress*

II—155
C.J. (E)

ORDER SHEET

THE COURT

(7)

1349/24 Of 20

Date of order or proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
	takes place in the suit".	

हस्तगत प्रकरण जवाबदावा के प्रक्रम पर है। आदेश 9 नियम 8 सीपीसी के आलोक में वादी की अनुपस्थिति में वाद *खारिज* किया जाता है।

वादीगण अपना तथा प्रतिवादीगण का वादव्यय स्वयं वहन करेंगे।

अभिभाषक शुल्क सूची अनुसार अथवा प्रमाणित होने पर, इनमें से जो भी कम हो अंकित किया जावे।

व्यय तालिका तैयार की जावे और तत्पश्चात् वाद का परिणाम सीआईएस में दर्ज कर विधिवत् अभिलेखागार में जमा किया जाये।

ऋचा बठेजा
34वें व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड
जिला जबलपुर (म.प्र.)

S

<u>व्यय-तालिका</u>

	वादी	रु०-पै०	प्रतिवादी	रु०-पै०
1	वाद शुल्क	12000=00	— —	— —
2	आवेदनपत्र शपथपत्र	20=00	— —	— —
3	अधिवक्ता-पत्र	10=00	— —	10=00
4	अधिवक्ता-शुल्क (प्रमाणपत्र पेश नहीं)	— —	— —	— —
5.	तलबाना	60=00	— —	— —
	कुल योग-	12090=00	— —	10=00

(ऋचा बठेजा)
34वें व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड
जबलपुर (म.प्र.)